अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–दूदू
पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.
प्रकरण : वाद
मुकदमा नम्बर 16 / 2023

मंगल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

वादीगण।

बनाम

रामेश्वर पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

भंवरलाल पुत्र स्व0 गोपाल जाति माली निवासी लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

सोहनी देवी पत्नी स्व0 गोपाल जाति माली निवासी लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

वादः– बाबत घोषणा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थित : 1. श्री कन्हैयालाल माली अधिवक्ता वादी।

2. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर श्री नरेन्द्र परेवा अधिवक्ता उपस्थित।

: : आदेश : :

दिनांक :– 17/04/2025

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लोरडी मे स्थित खाता संख्या 448 के आराजी ख0 न0 447 रकबा 0.2500 है0, आराजी ख0न0 448 रकबा 0.2100 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4600 है0 व खाता संख्या 449 के आराजी ख0न0 1088, 1089, 1090, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, लगायत 1135 2167, 2168, 2169, 2185, 449 कुल किता 42 कुल रकबा 4.9400 है0 व खाता संख्या 450 के आराजी ख0न0 2186 रकबा 0.1400 है0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.1400 है0 व खाता संख्या 542 के आराजी ख0न0 957 लगायत 967 कुल किता 11 कुल रकबा 2.4200 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता/पति के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है तथा इनकी मृत्यु पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है। पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्नानुसार है:–

गोपाल उर्फ परसराम पुत्र किशना (फौत)

↓

मंगल (पुत्र) | रामेश्वर (पुत्र) | भंवरलाल (पुत्र) | सोहन देवी (पत्नि)

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति को बचपन अवस्था में घर पर परसराम नाम से बोला एवं पुकारा जाता था तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति को

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

परसाराम घर पर पुकारा जाने के कारण पर्चा परसा पुत्र किशना के नाम से जारी कर दिया गया। मोके पर पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता अपने अपने हिस्से अनुसार आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा शेष आराजियात पर रामनारायण एवं अन्य खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति के सरकारी एव गैर सरकारी दस्तावेज मे नाम गोपाल दर्ज कर दिया गया तथा इसी अनुसार पश्चातवृती सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में वादी के पिता का नाम गोपाल पुत्र किशना चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में जो त्रुटि कारित की गई वह मात्र राजस्व कार्मियों द्वारा सहवनप्रश की गई है जो वादी एवं प्रतिवादीगण दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाने के अधिकारीणी है। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी को पिता/पति की आराजियात है जिसमें विधिक वारिसान का हक अधिकार निहित है तथा कानूनन अपने अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के वादी एव प्रतिवादीगण अधिकारिणी है इस कारण माननीय न्यायालय मे समक्ष वाद घोषणात्मक पेश करना लाजमी हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति वादग्रस्त आराजीयात पर जीवन काल से काबिज चले आ रहे है तथा वादी के पिता को परसाराम एव गोपाल दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है एवं ग्राम लोरडी मे इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है।उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।अतः श्रीमान वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जावे की वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात मे दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो में वादी के पिता का नाम परसराम पुत्र किशना का हजफ किया जाकर उसके स्थान गोपाल पुत्र किशना दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी स. 1 से 3 की ओर से श्री नरेन्द्र परेवा अधिवक्ता ने वकालत पत्र मय ईकबालिया जवाब पेश कर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की गई । प्रतिवादी सं0 4 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित।

वादीगण के वाद के सम्बन्ध मे प्रतिवादी संख्या 04 से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पेश रिपोर्टनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 मृतक खातेदार के जायन्दा वारीसान है। मृतक खातेदार के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कब्जा है। परसाराम एव गोपाल पिता किशना दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होकर ग्राम लोरडी मे इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही होना बताया गया है।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस को सुना। अधिवक्ता वादी ने अपनी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का नाम वादग्रस्त आराजीयात में परसराम पुत्र श्रीकिशन को हजफ किया जाकर उसके स्थान गोपाल पुत्र श्रीकिशन दर्ज किये आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम लोरडी की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 448 के आराजी

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

ख0न0 447 रकबा 0.2500 है0 व आराजी ख0न0 448 रकबा 0.2100 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4600 है0 व खाता संख्या 449 के आराजी ख0न0 1088 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 1089 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1090 रकबा 0.1200 है0, आराजी ख0न0 1098 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1099 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1100 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1101 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1102 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1103 रकबा 0.1800 है0, आराजी ख0न0 1104 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 1105 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1106 रकबा 0.1000 है0, आराजी ख0न0 1107 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1108 रकबा 0.1400 है0 आराजी ख0न0 1109 रकबा 0.0600है0, आराजी ख0न0 1110 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1111 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1114 रकबा 0.0300 है0, आराजी ख0न0 1115 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1116 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1117 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1118 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1119 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 1120 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1121 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1122 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1123 रकबा 0.1500 है0, आराजी ख0न0 1124 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 1127 रकबा 0.0500 है0, आराजी ख0न0 1128 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1129 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1130 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1131 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1132 रकबा 0.0500 है0, आराजी ख0न0 1133 रकबा 0.0400 है0, आराजी ख0न0 1134 रकबा 0.1500 है0, आराजी ख0न0 1135 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 2167 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 2168 रकबा 0.1800 है0, आराजी ख0न0 2169 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 2185 रकबा 0.1000 है0, आराजी ख0न0 449 रकबा 0.2300 है0 कुल किता 42 कुल रकबा 4.9400 है0 व खाता संख्या 450 के आराजी ख0न0 2186 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1400 है0 मे वादी एव प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम परसराम पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/6 अन्य सह खातेदार के साथ दर्ज रेकार्ड है व खाता संख्या 542 के आराजी ख0न0 957 रकबा 0.1200 है0, आराजी ख0न0 958 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 959 रकबा 0.3800 है0, आराजी ख0न0 960 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 961 रकबा 0.1200 है0, आराजी ख0न0 962 रकबा 0.1400 है0, आराजी ख0न0 963 रकबा 0.2000 है0, आराजी ख0न0 964 रकबा 0.3400 है0, आराजी ख0न0 965 रकबा 0.3500 है0, आराजी ख0न0 966 रकबा 0.3400 है0, आराजी ख0न0 967 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.4200 है0 मे वादी एव प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम परसराम पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/24 अन्य सह खातेदार के साथ दर्ज रेकार्ड है। वादी के पिता के अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा आधार–कार्ड की फोटो प्रति, राशन–कार्ड की फोटो प्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति में वादी के पिता का नाम गोपाल पुत्र किशना दर्ज है एव कार्यालय ग्राम पचायत धमाणा के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के कमाक 97 दिनाक 10.10.12 की छाया प्रति मे गोपाल माली पुत्र किशना माली व परसराम पुत्र किशना माली दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है साथ ही कार्यालय ग्राम पचायत धमाणा द्वारा जारी सजरा कमाक

उप खण्ड अधिकारी
...ाबाद (जयपुर)

115 दिनांक 13.10.17 की छाया प्रति में भी गोपाल एवं परसाराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को गोपाल उर्फ परसाराम पुत्र किशना माली के वारिसान होना ताहिद किया गया है। तहसीलदार मौजमाबाद की फर्द रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात आधार पर परसराम पुत्र श्री किशन/किशना एवं गोपाल पुत्र किशना दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गोपाल पुत्र किशना माली के वारिसान होना प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित होने से वादीगण का यह वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--::आदेश::--

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लोरडी की जमाबन्दी सम्वत 2074--2077 के खाता संख्या 448 के आराजी ख0न0 447 रकबा 0.2500 है0 व आराजी ख0न0 448 रकबा 0.2100 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4600 है0 व खाता संख्या 449 के आराजी ख0न0 1088 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 1089 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1090 रकबा 0.1200 है0, आराजी ख0न0 1098 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1099 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1100 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1101 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1102 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1103 रकबा 0.1800 है0, आराजी ख0न0 1104 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 1105 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1106 रकबा 0.1000 है0, आराजी ख0न0 1107 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1108 रकबा 0.1400 है0 आराजी ख0न0 1109 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1110 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1111 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1114 रकबा 0.0300 है0, आराजी ख0न0 1115 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1116 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1117 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 1118 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1119 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 1120 रकबा 0.0900 है0, आराजी ख0न0 1121 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1122 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 1123 रकबा 0.1500 है0, आराजी ख0न0 1124 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 1127 रकबा 0.0500 है0, आराजी ख0न0 1128 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1129 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 1130 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1131 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1132 रकबा 0.0500 है0, आराजी ख0न0 1133 रकबा 0.0400 है0, आराजी ख0न0 1134 रकबा 0.1500 है0, आराजी ख0न0 1135 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 2167 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 2168 रकबा 0.1800 है0, आराजी ख0न0 2169 रकबा 0.0700 है0, आराजी ख0न0 2185 रकबा 0.1000 है0, आराजी ख0न0 449 रकबा 0.2300 है0 कुल किता 42 कुल रकबा 4.9400 है0 व खाता संख्या 450 के आराजी ख0न0 2186 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1400 है0 व खाता संख्या 542 के आराजी ख0न0 957 रकबा 0.1200 है0, आराजी ख0न0 958 रकबा 0.1600 है0, आराजी ख0न0 959 रकबा 0.3800 है0, आराजी ख0न0 960 रकबा 0.1100 है0, आराजी ख0न0 961 रकबा 0.1200 है0, आराजी ख0न0 962 रकबा 0.1400 है0, आराजी ख0न0 963 रकबा 0.2000 है0,

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

आराजी ख0न0 964 रकबा 0.3400 है0, आराजी ख0न0 965 रकबा 0.3500 है0, आराजी ख0न0 966 रकबा 0.3400 है0, आराजी ख0न0 967 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 2.4200 है0 मे वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति का दर्ज नाम परसराम पुत्र श्री किशन व सरकारी दस्तावेजों में अंकित नाम गोपाल पुत्र किशना दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होने से उक्त वादग्रस्त आराजीयात मे वादी एव प्रतिवादीगण के पिता/पति का दर्ज नाम परसराम पुत्र श्री किशन राजस्व रिकॉर्ड मे विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 हिस्सा बराबर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 17/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर